


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- पापला कला
 प्रकरण सं:- 217/2018
 दिनांक:- 13.06.18
 क्रमांक:- लो.अदा./2018/1520

आदेश


प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पापला कला व
 मू.अ.नि. पापला कला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार
 सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
 के अनुसरण में ग्राम कागो डी हाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत
2073-74 में खाता संख्या 91 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
 जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>कागो डी हाणी</u>	<u>91</u>	<u>334</u> <u>335</u>	<u>भोमरा पुत्र</u> <u>पेमा</u>	<u>भोमाराम</u> <u>पुत्र</u> <u>पेमराम</u> <u>शेष बद्रावर</u>


 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
 दिनांक:- 13.06.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1521-23
 प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर मालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री भोमाराम पुत्र पेमराम निवासी कागो डी हाणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी